2024/8

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

**प्रार्थी / अपीलांट** — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री शैलेष शर्मा
निवासी प्लॉट नं. 76
मानसरोवर स्कीम पाल रोड
जोधपुर।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 7 / वर्ष 2024

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06.02.2024 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 09.11.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि तहसील कार्यालय पिण्डवाडा में कार्यरत श्री शचिन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र के अन्तिम पृष्ठ जिसमें सम्पत्ति वर्ष 2021–22, 2022–23 में जो सम्पत्ति अर्जित की है, उस विवरण के पृष्ठ के प्रमाणित प्रति एवं श्री शचिन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत आयकर गणना प्रपत्र 16 वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 09.11.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि तहसील कार्यालय पिण्डवाडा में कार्यरत श्री शचिन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र के अन्तिम पृष्ठ जिसमें सम्पत्ति वर्ष 2021–22, 2022–23 में जो सम्पत्ति अर्जित की है, उस विवरण के पृष्ठ के प्रमाणित प्रति एवं श्री शचिन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत आयकर गणना प्रपत्र 16 वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>(शुभम चौधरी)<br>**जिला कलक्टर, सिरोही**<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Shubham Chaudhary<br>Date: 2024.03.15 16:19:31 IST<br>Reason: SelfAttested | |

Scanned with CamScanner